



जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

पत्रांक-जे0एन0सी0यू0 / सा0प्र0 / 6937 / 2024

दिनांक 10 सितम्बर, 2024

कार्यालय आदेश

एतद्वारा परीक्षा समिति की बैठक दिनांक: 13 अगस्त, 2024 के बिन्दु संख्या-5 'अन्य प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय की अनुमति से' के प्रस्तर (v) में लिये गये निर्णयानुसार "यदि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी भी महाविद्यालय द्वारा प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा हेतु विश्वविद्यालय द्वारा नामित परीक्षकों से परीक्षा सम्पादित नहीं करायी जाती है, तो सम्बन्धित महाविद्यालय की पुर्नपरीक्षा रु0-50,000/- अर्थदण्ड के साथ सम्पन्न करायी जायेगी।"

उक्त कार्यालय आदेश का अनुपालन कड़ाई के साथ सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(एस0एल0पाल)

कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01.माननीय कुलपति जी।
- 02.निदेशक शैक्षणिक, विश्वविद्यालय परिसर।
- 03.प्राचार्य/प्राचार्या, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
- 04.जनसम्पर्क अधिकारी, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
- 05.प्रभारी वेबसाइट को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं कालेज लागिन में सम्प्रेषण हेतु।
- 06.सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव